

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक

खनिज भवन सिविल लाईन टोंक
दूरभाष नं. 01432-247640 email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- सखअ/टोंक/निविदा/2021/41

दिनांक :- 08/07/21

जिला टोंक विभिन्न तहसीलों के अन्तर्गत जब्तशुदा बजरी स्टॉकों की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे दिनांक 27.07.2021 (सायंकाल 2.00 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक सिविल लाईन टोंक के कमरा नं. 01 में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 27.07.2021 को सायंकाल: 4.00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर -1 में खोली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-


क्रम सं.	स्थान का विवरण जहां जप्त बजरी पडी हुई है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रु.)
1	जिला टोंक की तहसील देवली के राजस्व ग्राम रामथला के खसरा नम्बर 1563 में 200 टन एवं 1686 में अलग अलग ढेरिया अनुमानित मात्रा लगभग 1800 टन कुल 2000 जब्तशुदा बजरी स्टॉक जब्तशुदा अवैध बजरी स्टॉक	2000	110000	1100000

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

- निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से क्षेत्र का नाम जहां बजरी पडी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएँ कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक खनिज भवन, सिविल लाईन टोंक के कमरा नं. 01 पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 27.7.2021 (सायंकाल 2.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानता राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो सहायक खनि अभियन्ता, टोंक के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
- जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में मौके पर जाकर की जा सकती है।
- जप्तशुदा बजरी मौके पर जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
- प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 27.7.2021 को सायंकाल 4:00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 01 में खोली जायेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथि से नियत समायावधि में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
- निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
- निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
- उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावा GST/Tax अतिरिक्त जमा कराना होगा।

नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।

12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोक द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
13. सफलतम बोली दाता को परिवहन हेतु अवधि 15 दिवस सहित अधिकतम 20 दिवस ही अनुमत होगा।
14. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनो में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनो की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
15. तुलाई के बाद वाहनो के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेस की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बन्धित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को Whats App पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
16. विभागीय कार्मिको द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिहवन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनो की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के सम्बन्धित ऊपर अंकित को Whats App पर भेजने के पश्चात ही वाहनो को रवाना किया जा सकेगा।
17. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण / परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टोक की फोटो वाहनो की तोल परिचियों एवं भरे हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
19. स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा। और इस म्बन्ध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
20. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनो के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनो के अतिरिक्त अन्य वाहनो से अनुमत नहीं होगा।
21. खनिज के परिवहन हेत विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
22. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनो को प्राथकता दी जावेगी।



(लक्ष्मीचन्द मीना)

सहायक खनि अभियन्ता टोक

क्रमांक:- सखअ/टोंक/निविदा/2021/42

दिनांक :- 08/07/21


नीलामी सूचना प्रकाशन 03/2021-22

क्रम सं.	स्थान का विवरण जहां जप्त बजरी पड़ी हुई है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रु.)
1	जिला टोंक की तहसील देवली के राजस्व ग्राम रामथला के खसरा नम्बर 1563 में 200 टन एवं 1686 में अलग अलग ढेरिया अनुमानित मात्रा लगभग 1800 टन कुल 2000 जब्तशुदा बजरी स्टॉक जब्तशुदा अवैध बजरी स्टॉक	2000	110000	1100000

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला टोंक की विभिन्न तहसीलों के अन्तर्गत जब्तशुदा बजरी स्टॉकों की नीलामी विक्रय हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदाएं दरे आमन्त्रित की जाती हैं। स्टोक विवरण निम्नानुसार है-

उक्त जब्तशुदा बजरी स्टॉक की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे आमन्त्रित की जाती है। नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र राशि रु. 1,000/- का डी.डी./बैंकर्स चैक "सहायक खनि अभियन्ता, टोंक" के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 27.7.2021 (दोपहर 12.00 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक से प्राप्त किये जा सकते हैं।

उक्त जब्तशुदा खनिज बजरी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे दिनांक 27.7.2021 (सायंकाल 2.00 बजे) तक प्राप्त की जायेंगी। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा 27.7.2021 को सायंकाल 4:00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष खोली जायेगी, नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर कभी भी देखी जा सकती है एवं नीलामी की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी।


सहायक खनि अभियन्ता टोंक